165

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल म०प्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म०प्र०

Rs.301/-

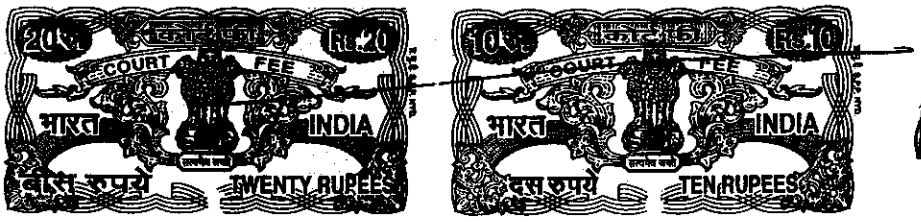

R 5334-II/16

बैजू तेली तनय चन्द्रुल तेली उम्र- 68 साल साकिन देवरी केमराम तहसील मऊगंज
जिलारीवा म०प्र० ===== निगरानीकर्ता

बनाम

1- मारकण्डेय ब्रा० तनय श्रीनाथ ब्रा० उम्र- 75 साल

2- चन्द्रभान हरिजन तनय परमेश्वर हरिजन उम्र- 45 साल
सा० देवरी केमराम, तहसील मऊगंज जिलारीवा म०प्र०

3- शासन म०प्र० ===== गैरनिगरानीकर्तागण

अधिवक्ता श्री सुनील पाण्डेय
द्वारा पेश 11-11-16

रीडर आफ कोर्ट
राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश नायब तहसीलदार तहसील सर्किल रामपुर/हर्रा तहसील मऊगंज द्वारा जरिये प्रकरण क्रमांक 6ए-12/01-02में पारित आदेश दिनांक 7/6/16 एवं 14/6/16 .

निगरानी अन्तर्गतधारा- 50 म०प्र० भू० राजस्व संहिता 1959 ई०.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1- यहकि निगरानीकर्ता के सीमांकन प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा दो बार सीमांकन आदेश का पुष्टीकरण करने के बाद अब की जा रही कार्यवाही व तीसरी बार सीमांकन हेतु पारित आदेश विधि प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त करने योग्य है ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5334–दो/16 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री सुनील पाण्डेय द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार तहसील सर्किल रामपुर/खर्रा तहसील नई गढ़ी जिला रीवा के प्रकरण कमांक 6/अ–12/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 7.6.16 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में संलग्न स्थल पंचनामा एवं सूचना पत्र में ग्राम देवरी सेगरान की आराजी कमांक 557/1 रकवा 0.251 है0 का सीमांकन कार्य किया गया जिस पर बैजू तेली तनय चन्दुल तेली के हस्ताक्षर अंकित है जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि सीमांकन की सूचना नहीं है। अतः नायब तहसीलदार तहसील सर्किल रामपुर/खर्रा तहसील नई गढ़ी जिला रीवा के प्रकरण कमांक 6/अ–12/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 7.6.16 उचित होने से स्थिर रखा जाता है । परिणामस्वरूप आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने	

से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य